फर्द अहकाम

उदयराम बनाम कालूराम

...यालय

...या 178/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी धारा 111 व 128 का पेश किया। रिपोर्ट आरिता तलब हो जारी हो पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तलबी अप्रार्थीगण को जारी होकर दिनांक 19/7/2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 4670-79 3/7/24
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/8/24 को पेश हो।	
2/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/24 को पेश हो।	
14/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी अ०। लगायत व तामील उपस्थित नहीं आये तामील शामिल [illegible] अमल में लाई जाती एकपक्षीय कार्यवाही व साक्ष्य प्रार्थी हेतु हो पत्रावली दिनांक 21/8/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित व [illegible] साक्ष्य [illegible] पेश प्रार्थना पत्र [illegible] लिखित [illegible] प्रमाण के [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 178 / 2024
निर्णय दिनांक: 21.08.2024

1. उदयराम पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. गोपाल लाल पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. ममता पुत्री राधेश्याम, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. रानू पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. लल्ली देवी पत्नी राधेश्याम, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. श्योजीराम पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

वनाम

1. का[illegible] पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जयनारायण पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. मोतीलाल पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. कैलाश पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. प्रहलाद पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रामकरण पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. रामूलाल पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. नारायण पुत्र नानगा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

9. मुरली पुत्र नानगा, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 401 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.5300 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक भू.अ./23/सीमाज्ञान /7476 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2023 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण काविज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 401, 402, 404 के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 405/1 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है, खसरा नम्बर 401, 427 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 398/2, 400 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 है, एवं दक्षिण व पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 488, 489, 408, 424 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण स्वयं है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार नानू पुत्र मु. छीगना की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में नानू पुत्र मु. छीगना का ही नाम चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 खातेदार काश्तकार नानू पुत्र मु. छीगना के विधिक वारिसान है, ऐसी स्थिति में खातेदार नानू पुत्र मु. छीगना के स्थान पर उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जवरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है और उक्त भूमि पर तारवन्दी करना चाहते है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नही करे, इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह [illegible] करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] भूमि हाल खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 401 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.5300 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जोतडावाला, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.11.2024 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 14.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 401, 402, 403, 404, 425, 426, 427 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है, प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 401 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0. 2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.5300 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 02. 11.2024 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:47:17 IST
Reason: SelfAttested.

([illegible] सिंह)
उपखण्ड अधि[illegible] एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर